न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 89 / 2021(2021 / 00257)

दशरथ कंवर पत्नि राजदीप सिंह जाति राजपूत निवासी सावर तहसील सावर जिला अजमेर
—प्रार्थीया

बनाम

—अप्रार्थी

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर
2. नरपत सिंह मेड़तिया पुत्र श्री सागर सिंह मेड़तिया जाति राजपूत निवासी मोरेड़ी चांवा तहसील डेगाना जिला नागौर हाल निवासी सावर तहसील सावर जिला अजमेर

——प्रफोर्मा अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क की उपधारा (1)राज0काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः— 1. श्री कमलेश कुमार शर्मा — वकील प्रार्थीया
2.तहसीलदार सावर — पैरोकार सरकार
3.श्री जगदीश प्रसाद तेली —वकील अप्रार्थी संख्या 01—प्रफोर्मा अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 24.09.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीयां ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क, का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम उकांरपुरा की जमाबंदी संवत् 2074—77 तहसील सावर जिला अजमेर मे निम्नवर्णित आराजीयात स्थित है:—

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा संख्या	रकबा (है0)	किस्म
68—163	614	0.18	बारानी दोयम

इस आराजी मे आने जाने हेतु निम्नलिखित भूमि मे से होकर जाना पड़ता है जो सिवायचक भूमि है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
1—1	615	0.44	बारानी दोयम
	931	0.58	गै.मु.पाल

उक्त वर्णित प्रार्थीयां की खातेदारी भूमि मे आने जाने हेतु मौके पर कोई रास्ता नही है ना ही नक्शा ट्रेस मे आने जाने का कोई रास्ता दर्शित है। आराजी खसरा नंबर 614 जो कि प्रार्थीगण एवं प्रफार्मा अप्रार्थीगण की है, जिसमे जाने आने हेतु रास्ता खसरा नंबर 931 गै.मु.पाल से शुरू होकर खसरा नंबर 615 के उत्तरी और से होकर प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 614 तक पहुंचता है प्रार्थीगण उक्त रास्ते से होकर ही अपनी आराजीयात पर आते जाते है,उक्त रास्ता कदीमी है तथा लग[illegible] फीट चौडा है। तथा इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण की आराजी [illegible] है, अतः उक्त विद्यमान मार्ग को राजस्व रेकार्ड मे "रास्ते के रूप मे अभिलिखित किया जाये" प्रार्थीयां नियमानुसार राशि जमा करवाने हेतु तैयार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:44:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

आराजीयात काबिज काश्त भूमि है तथा अप्रार्थी लैण्डलोर्ड होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

मौका पर्चा रिपोर्ट पत्र कमांक/अति./2021/1497 दिनांक 24.09.2021 से प्रस्तुत की है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार ग्राम उंकारपुरा के खसरा नंबर 614 आवेदक एवं प्रोफार्मा अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है। प्रार्थीगण का रेकार्डेड रास्ता खसरा नंबर 622 रकबा 0.83 किस्म गैर मुमकिन सडक से खसरा नंबर 931 गैर मुमकिन पाल व 615 बारानी दोयमे मे से है। प्रार्थीया की खातेदारी के खसरा नंबर 614 पर पहुँच के लिए खसरा नंबर 931 व 615 शिवायचक मे से प्रस्तावित रास्ता निम्नानुसार बताया है:-

ख.नं.	प्रस्तावित रास्ता	रास्ते हेतु रकबारकबा	वर्गमीटर गुणा डीएलसी गुणा 2	मल्कियत
931	30 गुणा 16 फीट	480 वर्गफीट	44.60 गुणा 825833 गुणा 2	7366/-
615	30 गुणा 140 फीट	4200 वर्गफीट	390.00 गुणा 825833 गुणा 2	64415/-
			योग:- 434.60 वर्ग.मी.	71781रू

रूपया प्रतिकर राशि बनती है। प्रार्थीगण डी0एल0सी0 दर के अनुसार प्रतिकर राशि अदा करने के लिए तैयार है।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित कथनो को दोहराया तथा निवेदन किया कि रास्ता स्वीकृत किया जावे प्रार्थीयां प्रतिकर राशि राजकोष मे जमा करवाने हेतु तैयार है। पैरोकार सरकार ने जवाब तहसीलदार अनुसार रास्ता स्वीकृत किये जाने मे सहमति व्यक्त की है।

मैने वकील प्रार्थीयॉं की बहस का मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व मौका पर्चा रिपोर्ट तहसीलदार सावर का अवलोकन किया गया। प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है। अतः ग्राम उंकारपुरा के खसरा नंबर नंबर 931 मे से 44.60 वर्ग मीटर रास्ता,खसरा नंबर 615 मे से 390.00वर्गमीटर जो प्रार्थीयां के खेत तक जाता है, की लम्बाई तक राजस्व रेकार्ड मे गैर मुमकिन रास्ते का अंकन तहसीलदार सावर दर्ज करे तथा नियमानुसार प्रतिकर की राशि प्रार्थीयां से गणना कर 71781.00 रू राजकोष मे जमा करायी जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:44:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner